फर्द अहकाम

जगराम बनाम किशन वगै०

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा

केस संख्या 42/2020 S.3, 188 I.P.C

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	20/7/20	वकील वादी उप-। बहिस्मत बटवारा। रिपोर्ट पत्रावली दि० 22/7/20 को पेश हो।	
	22/7/20	[illegible] मे अ [illegible] डा। 29/7/20 पेश हो। (रीडर)	
	29/7/20	वकील वादी उप-। बहिस्मत बटवारा रिपोर्ट पत्रावली दि० 31/7/20 को पेश हो।	
	31-7-20	वकील वादी उप-। बहिस्मत बटवारा रिपोर्ट पत्रावली दि० 5/8/20 को पेश हो।	
	5/8/20	वकील वादी उप-। बटवारा रिपोर्ट पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने बटवारा रिपोर्ट मुताबिक अंतिम डिक्री किए जाने का निवेदन किया। अतः बहस बटवारा रिपोर्ट मुताबिक अंतिम डिक्री किया जाता है। पत्रावली मिसल मुताबिक होकर गवाह ने कम हो।	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 42/2020

उनवान

1 जयनारायण पुत्र चन्दालाल जाति रैगर निवासी रेनवाल मांजी तहसील फागी जिला जयपुर

वादी

बनाम

1 किशन पुत्र भैरू जाति रैगर निवासी रेनवाल मांजी तहसील फागी जिला जयपुर हाल निवासी बाणवालो का दरवाजा चौडा रास्ता जयपुर ।
2. राज0सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा
3. उप पंजीयक शाहपुरा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट 1955

निर्णय दिनांक : 05.08.2020

वादी की ओर से यह वाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आ.ख.न 7013 रकबा 0.52 है. वाके ग्राम निठारा तह. शाहपुरा में स्थित है । उक्त आराजी में वादी का हिस्सा 1/3 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी अपने हिस्से पर काबिज कास्त है तथा प्रतिवादीगण भी अपने अपने हिस्से पर काबिज कास्त होकर सह खातेदार कास्तकार है। उक्त आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है तथा उक्त आराजी मुख्य सड़क से लगती हुई है इस कारण प्रतिवादीगण के मन में दुर्भावना आ गयी है वे आराजी मुतनाजा का बिना कानूनी बंटवारा कराये ही सड़क से लगती हुई विशिष्ट भू भाग को किसी अजनबी लठेत व्यक्ति को बैचान कर उसके पक्ष में प्रतिवादी सं0 3 के कार्यालय में अन्तरण डीड पंजीबद्व कराने तथा आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड मे परिवर्तन कराने पर आमादा है प्रतिवादीगण को ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है । दिनांक 20.06.2020 को वादी आराजी मुतनाजा मे खडी फसल की देखरेख कर रही थी तब प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा में 5–7 अजनबी व्यक्तियों को लेकर आये और आराजी मुतनाजा के सड़क से लगते विशिष्ठ भू भाग की नाप जोख करने लगे । वादी ने उनसे नाप जोख करने का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण वादी से नाराज हो गये तथा आवेश में आकर वादी को एलानिया धमकी दी कि वे आराजी मुतनाजा का बिना कानूनी बंटवारा कराये ही आराजी मुतनाजा के विशिष्ठ भू भाग को अजनबी व्यक्तियो को बैचान कर उनके पक्ष में अंतरण करवाकर आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाकर रहेगे । वादी को जबरन बैदखल कर आराजी के विशिष्ठ भू भाग पर कब्जा करवा कर रहेगें। इस कारण वादी को न्यायालय में यह वाद पेश करना आवश्यक हो गया अन्त में निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 7013 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम भीखावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी बंटवारा कराया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा पृथक–2 लगान निर्धारण किया जावे । प्रतिवादीगण को सदैव सदैव के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी के हिस्से में आई भूमि पर किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दावा प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई । वकील वादी को बंटवारा रिपोर्ट पर सुना गया । वकील वादी ने तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रजात रिपोर्ट के अनुसार दावा अन्तिम डिकी किये जाने का निवेदन किया । पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रजात रिपोर्ट खातेदार के दर्ज हिस्से अनुसार सही होना प्रतीत होता है तथा दावा अन्तिम डिकी किया जाना उचित समझते है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार आ.ख.न. 7013 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम भीखावाला तह. शाहपुरा का खातेदारान के मध्य निम्न बंटवारा किया जाकर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा अनुसार एक–दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे। --

1. आ.ख.नं. 7013/1 रकबा 0.26 है0 , भूमि वादी के हिस्से में रहेगी ।

2. आ0ख0नं0 7013 रकबा 0.26 है0 भूमि प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में रहेगी कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतू तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट
पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र –

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 42/2020

उनवान

1 जयनारायण पुत्र चन्दालाल जाति रैगर निवासी रेनवाल मांजी तहसील फागी जिला जयपुर

वादी

बनाम

1 किशन पुत्र भैरू जाति रैगर निवासी रेनवाल मांजी तहसील फागी जिला जयपुर हाल निवासी बाणवालो का दरवाजा चौडा रास्ता जयपुर ।
2. राज0सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा
3. उप पंजीयक शाहपुरा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट 1955

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार आ.ख.न. 7013 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम भीखावाला तह. शाहपुरा का खातेदारान के मध्य निम्न बंटवारा किया जाकर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे बंटवारा अनुसार एक–दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे। –

1. आ.ख.नं. 7013/1 रकबा 0.26 है0 , भूमि वादी के हिस्से में रहेगी ।

2. आ0ख0नं0 7013 रकबा 0.26 है0 भूमि प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में रहेगी

कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतू तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे।

निर्णय आज तारीख 05.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट
पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	1	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	1
जोड़		जोड़	